न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 05/2022
अनवान :–

1. गिरधारी लाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम्

1. बनवारी पुत्र नत्थुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. श्योलाल पुत्र प्रताप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. श्रवण कुमार पुत्र प्रताप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. महावीर पुत्र सुखराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. राजेश पुत्र सुखराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. महेन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. धन्नी पत्नी सुखराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. गुडडी देवी पत्नी भजनलाल जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. सुमित्रा पुत्री सुखलाल जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

अप्रार्थीगण

11. दाखा पत्नी रावताराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. श्रीराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री सजय जोशी अभिभाषक, प्रार्थी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवता अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : 11/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 181/145 के प0न0 76/40(420) के किला न0 16 ,17 ,22 ता 25 /1.3920हैक प0न0 77/33(424) के किला न0 2 ता 4 ,7 ,8 ,13 ता 14 ,18 कुल 1.6320हैक प0न0 77/62(655) के किला न0 16 ,24 ,25 की 0.6320हैक प0न0 77/63 (656) के किला न0 4 ता 7 ,15 /0.8470हैक प0न0 97/6 (654) के किला न0 12 ,163 ,18 ता 23 /2.0240हैक प0न0 97/7 (657) के किला न0 1 ,2 ,9 ,10/1.0120हैक कुल 7.5390हैक बारानी भूमि अपने भाई व माता के साथ 1/3 – 1/3 बहिब बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 270/229 के प0न0 77/61 (584) के किला न0 5 ता 7 ,14 ता 17 ,25/2.0240हैक प0न0 77/62(655) के किला न0 5 ,6 ,14 ,15 ,17/1.2400हैक प0न0 97/4 (578) के किला न0 21 ता 23 /0.7590हैक प0न0 97/5 (585) के किला न0 1 ता 3 व 8 ता 13 ,18 ता 20 ,21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 कुल 3.9470हैक एव प0न0 97/6 (654) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 11 /1.7710है[illegible] कु[illegible] 9.7410हैक बारानी भूमि बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में [illegible]

प्रार्थी व तरतीबी अप्र[illegible] भूमि में आने जाने क[illegible] अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 की साझे खाते की भूमि के प0न0 [illegible]/6 (654) के किल[illegible]1 ,10 ,11 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:50:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रयोग लगभग 20 वर्षो से निरन्त करते आ रहे है प्रार्थी मुख्य मार्ग से प0न0 97 / 6(654) के किला न0 1 ,10 ,11 के पश्चिमी सीव (पत्थर लाईन) से अपने खेत में आना जाना करते आ रहे है जिसका अप्रार्थीगण ने कभी भी ऐतराज नही किया लेकिन पिछले 4–5 माह से अप्रार्थीगण संख्या 1 ने प्रार्थी को सदामत मार्ग में बाधा उत्पन्न डालनी शरू कर दी है और रास्ता बन्द करने की घमकी दे रहे है

प्रार्थी एव तरतीबी अप्रार्थी संख्या 11 ,12 सदामत से उक्त रास्ता का उपयोग उपभोग करते आ रहे थे प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थी मुख्य मार्ग से अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 के खेत की सीव से चल कर अपने खेत में प्रवेश करते आ रहे थे इससे अधिक सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नही है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक है जिसे स्वीकार करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है

प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 11 ,12 उक्त रास्ते में जीतनी भूमि आती है उतनी भूमि या बाजार भाव से मुल्य जो भी अप्रार्थीगण चाहे देने का तैयार है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 270 / 229 के प0न0 97 / 6 (654) किला न0 1 ,10 ,11 की पश्चिमी सीव पत्थर लाईन पर उतर से दक्षिण एक एक गठठा रास्ता स्वीकृत फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 3 ,7 ता 9 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई गैरसायल संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का जबाब पेश किया की अप्रार्थी संख्या 1 की सहखातेदारी भूमि वाद वर्णित भूमि है सहकाश्तकारों के साथ वर्षो पूर्व बहामी बटवारा हो चुका है प्रश्नगत रास्ता जो प्रार्थी के द्वारा चाहा गया है वह अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में से चाहा गया है यह रास्ता सदामत से चलता आ रहा है जिसे स्वीकार किया जाना उचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सदामत से चालू रास्ता को स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

गैरसायल संख्या 2 ,4 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की अप्रार्थीगण की भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है तथा मुश्तरका खाता में प्रत्येक इच पर प्रत्येक काश्तकार का हक हिस्सा होता है तथा सयुक्त खाता की भूमि का खाता विभाजन नही हुआ है सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता कोनसी दिशा मे चाहा गया स्पष्ट नही किया है प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता लम्बा रास्ता है छोटा रास्ता उपलब्ध हो सकता है प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते का मौका निरीक्षण नही किया गया है ना ही किसी पक्षकार को सुचना दी गई है एक पक्षिय रिपोर्ट तेयार की गई है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की भूमि में से कभी भी आवागमन नही किया गया है प्रार्थी हमेशा से दीपाराम पुत्र तुलछाराम के खेत में से आवागमन करते आ रहे है प्रार्थी से समस्त पक्षकारो को पक्षकार नही बनाया गया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के जबाब शामिल मिसल किये जाकर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने लिखित में बहस पेश की गई जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की भूमि रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0 97 / 6(654) के किला न0 1 ,10 ,11 के पश्चिमी सीव [illegible] से उत्तर एक एक बिश्वा चाहा गया है जो लगभग 25 वर्षो से चालू है अप्रार्थीगण के [illegible] के आधार पर प्रार्थी को रास्ता दिया गया था किला न0 1 ,10 ,11 की [illegible] बटवारा में अप्रार्थी संख्या 1के कब्जा काश्त में है जिसने स्वीकार किया जा चुका है रास्ते के बदले में भूमि देने को भी तेयार है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:50:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गैरसायल संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की सहखातेदारों के साथ बाहमी बटवारा में प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि प्राप्त हुई थी जो उसके कब्जा काश्त में है जिसमें से प्रार्थी रास्ते का उपयोग करते आ रहे है जिसे स्वीकार किया जाना उचित है।

गैरसायल संख्या 2 ता 6 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की अभी भूमि सहखातेदारी में दर्ज है बटवारा नही हुआ है ना ही बाहमी बटवारा हुआ है प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का हक हिस्सा है व प्रार्थी कभी भी उक्त रास्ता से आवागमन नही किया है प्रार्थी अन्य काश्तकार के खते में से होकर अपनी भूमि में आवागमन करता आ रहा है प्रार्थी उक्त रास्ता स्वीकार करवाने का अधिकारी नही है क्योकि लम्बा रास्ता है जबकि छोटा रास्ता उपलब्ध है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 181/145 के प0न0 76/40(420) के किला न0 16 ,17 ,22 ता 25 /1.3920हैक्‍ प0न0 77/33(424) के किला न0 2 ता 4 ,7 ,8 ,13 ता 14 ,18 कुल 1.6320हैक्‍ प0न0 77/62(655) के किला न0 16 ,24 ,25 की 0.6320हैक्‍ प0न0 77/63 (656) के किला न0 4 ता 7 ,15 /0.8470हैक्‍ प0न0 97/6 (654) के किला न0 12 ,163 ,18 ता 23 /2.0240हैक्‍ प0न0 97/7 (657) के किला न0 1 ,2 ,9 ,10/1.0120हैक्‍ कुल 7.5390हैक्‍ बारानी भूमि अपने भाई व माता के साथ 1/3 – 1/3 बहिब बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 270/229 के प0न0 77/61 (584) के किला न0 5 ता 7 ,14 ता 17 ,25/2.0240हैक्‍ प0न0 77/62(655) के किला न0 5 ,6 ,14 ,15 ,17/1.2400हैक्‍ प0न0 97/4 (578) के किला न0 21 ता 23 /0.7590हैक्‍ प0न0 97/5 (585) के किला न0 1 ता 3 व 8 ता 13 ,18 ता 20 ,21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 कुल 3.9470हैक्‍ एव प0न0 97/6 (654) के किला न0 1 ता 3 ,8 ता 11 /1.7710हैक्‍ कुल 9.7410हैक्‍ बारानी भूमि बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

इस प्रकार प्रार्थी एव अप्रार्थीगण एक दुसरे के चिपते हुए काश्तकार है प्रार्थी का कथन है कि वह हमेशा से अप्रार्थीगण के किला न0 1 ,10 ,11 में से होकर अपनी भूमि में प्रवेश करता आ रहा है यह रास्ता सदामत से चालू है जिसे स्वीकार करवाना चाहता है

गैरसायल संख्या 1 ने प्रार्थी के कथनों को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया है प्रार्थी ने जहॉ से रास्ता चाहा गया है वह बाहमी बटवारा में उसके कब्जा काश्त की भूमि है रास्ता दिया जाना उचित है इसी रास्ता से प्रार्थी आवागमन करते आ रहे है

गैरसायल का कथन है कि प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता लम्बा है और अभी खाता विभाजन नही हुआ है प्रार्थी अन्य के खेत में से आवागमन करता है

प्रार्थी के कथनों को अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने के कारण प्रार्थी का कथन स्वीकार योग्य है जबकि गैरसायल का विरोध स्वीकार योग्य नही है यदि खाता विभजान नही हुआ है तो भी प्रार्थी अपनी भूमि में जाने के लिये रास्ता पत्थर लाईन पर पाने का अधिकारी है अप्रार्थी संख्या 1 की स्वीकारोक्ती के कारण प्रश्नगत रास्ता सदामत से चला आ रहा हे माना जा सकता है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि प्रार्थी के खेत के निकटतम दुरी पर पत्थर नम्बर 97/6 (585) किला न0 21 ता 25 में दक्षिणी दिशा में पूर्व से [illegible] कटानी रास्ता 2– 2 गठठा चालू है तथा प्रार्थी के खेत लिये सबसे [illegible] 97/6 (654) किला न0 1 ,10 ,11 के पश्चिमी दिशा में [illegible] है तथा प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में से आवागमन करने के लिये रास्ता दिया [illegible] उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:50:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

..3

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार प्रार्थी की भूमि और कटानी रास्ता जो वर्तमान में चालू है के मध्य अप्राथीगण की भूमि है जो सयुक्त खाते में दर्ज है अप्रार्थीगण की भूमि में रास्ता स्वीकृत करने पर प्रार्थी आसानी से अपनी भूमि में प्रवेश कर सकते है

तहसीलदार नोहर के नजरीय नक्शा के अनुसार प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के किला न0 1 ,10 ,11 में से रास्ता चाहा गया है अप्रार्थीगण के किला न0 3 ,8 दो किलो में रास्ता दिये जाने पर भी रास्ता प्रार्थी को उपलब्ध हो सकता है किन्तु यह रास्ता सदामत से चालू नही है और पत्थर लाईन पर भी नही है जहॉ तक सम्भव हो सदामत से चालू और पत्थर लाइन पर ही रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिये ताकि किसी प्रकार का विवाद ना बढे

प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता सदामत से चालू है और पत्थर लाईन पर है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वीकार भी किया गया है कि यह रास्ता सदामत से चालू है और उसके कब्जा काश्त की भूमि में से है जिसे स्वीकार किया जाना विधि सम्मत है।प्रार्थी को उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है ना ही उपयुक्त है उक्त रास्ता छोटा सुविधाजनक रास्ता है ।

किसी भी काश्तकार को उसकी भूमि तक जाने के लिये रास्ता दिया जाना उचित हे किन्तु जहॉ से रास्ता दिया जा रहा है वह सायल व अन्य काश्तकारो के लिये उपयोगी हो और अन्य किसी काश्तकार के हित भी प्रभावित नही होते हो प्रार्थी ने जहॉ से रास्ता चाहा गया है वह न्यायोचित है जिससे गैरयायल के हित भी प्रभावित नही हो रहे है इसप्रकार प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 की स्वीकारोक्ती एव कब्जा काश्त में पत्थर लाईन पर सदामत से चालू रास्ता होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः सायल/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा बिराकाली बारानी के खाता संख्या 270/229 के प0न0 97/6(654) के किला न0 1 ,10 ,11 के पश्चिमी सीव पर दक्षिण से उत्तर एक एक बिश्वा स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी/सायल व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 11 ,12 रास्ता में जीतनी भूमि आती हे उतनी भूमि गैरसायलान को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए रास्ते को छोडते हुए देगा इसी आश्य का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/06/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:30:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व/2025/ 719 दिनांक 11/06/25

तहसीलदार,
नोहर

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में प्रार्थना–पत्र सं0 05/2022 निर्णय दिनांक 11/6/2025

अनवानी :–

1. गिरधारी लाल पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

प्रार्थी

बनाम्

1 बनवारी पुत्र नत्थुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
2. श्योलाल पुत्र प्रताप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
3. श्रवण कुमार पुत्र प्रताप जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
4. महावीर पुत्र सुखराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
5. राजेश पुत्र सुखराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
6. महेन्द्र पुत्र नत्थुराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
7. धन्नी पत्नी सुखराम जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
8. गुडडी देवी पत्नी भजनलाल जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
9. सुमित्रा पुत्री सुखलाल जाति बावरी निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

अप्रार्थीगण

11. दाखा पत्नी रावताराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।
12. श्रीराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी बिरकाली तहसील नोहर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मोजा बिराकाली बारानी के खाता संख्या 270/229 के प0न0 97/6(654) के किला न0 1 ,10 ,11 के पश्चिमी सीव पर दक्षिण से उत्तर एक एक बिश्वा स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी/सायल व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 11 ,12 रास्ता में जीतनी भूमि आती हे उतनी भूमि गैरसायलान को उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए रास्ते को छोडते हुए देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.19 18:30:32 IST
Reason: SelfAttested